:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर (म०प्र०) ::

(दूरभाष नं. 07325—242042, (कले.) 241000—फैक्स नं. 07325—242043)

क्रमांक/क/न्या0लि0/2021/ 5550 बुरहानपुर, दिनांक : 11/09/2021

।। आदेश ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर व्दारा उनके प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/पु.अ./बु.पुर/जिविशा/2/459/2021 दिनांक 11.09.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गत दिनों से Facebook एवं Whats App पर आपत्तिजनक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजी अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई । आपत्तिजनक दृश्य व Message WhatsApp पर डालने से भी आम जन की भावनाएँ आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियाँ निर्मित हुई है। Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter आदि Social Internet Sites पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाले Comments/Likes करने वालो पर किसी प्रकार दांडिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नही है । यहां पर उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आने वाले Comments/Cross Comment के कारण होता है । Internet पर एक प्रकार से वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे Post के माध्यम से होती है, जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है । इस प्रकार के Internet Social media wars अभी भी सक्रिय है जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है ।

Facebook Post एवं उस पर Comments/Likes, Whats App, Instagram पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding, Twitter पर साम्प्रदायिक Message से लोक शांति भंग करने में "Proximate and nexus" रखते है । यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था भंग कर सकता है । इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिये उकसा सकती है । इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में असामाजिक तत्वों एवं अतिवादी संगठनों व्दारा अपने फायदे के लिये इनका उपयोग किया जा सकता है । इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोकसंपत्ति की क्षति संभावित है । इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जान माल को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएँ व्याप्त हो रही है । अतएव् इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं शैलेन्द्र सिंह सौलंकी, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

बुरहानपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, Message करने पर, एवं उनकी Forwarding, Twitter, Face book, Whats App, Instagram इत्यादि Social Media आदि पर साम्प्रदायिक Message आदि करने से, Post पर Comments/Likes करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है ।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय या माध्यम उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया सहिता, 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त से छूट दे सकेगा ।

निरंतर-2

Add. District Magistrate
Burhanpur M.P.)

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा ।

यह आदेश दिनांक : 11/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(शैलेन्द्र सिंह सौलंकी)
अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म0प्र0)

पृ0कमाक/क/न्या.लि./2021/ 5550

बुरहानपुर, दिनांक : 11/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर
3. पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 भोपाल
4. पुलिस महानिरीक्षक इंदौर रेंज इंदौर
5. पुलिस उप महानिरीक्षक, खरगोन रेजं, इंदौर
6. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अति0पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुरहानपुर / नेपानगर
9. नगर दण्डाधिकारी, बुरहानपुर
10. नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नेपानगर
12. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी ....जिला–बुरहानपुर
13. आयुक्त, नगर पालिक निगम बुरहानपुर
14. पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के माध्यम से समस्त थाना प्रभारीयों...................................... जिला बुरहानपुर को अतिरिक्त प्रतियाँ प्रेषित कर उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार–प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित ।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, बुरहानपुर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. कार्यालय संयुक्त जिला कार्यालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, बुरहानपुर ।

अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म0प्र0)